<u>यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना</u>

पीठासीन अधिकारीः— श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

वाद संख्याः 297/2021 दायर दिनाँक 01.11.2021

वादी

1. सीताराम पुत्र घासीराम, जाति ब्राहाम्ण,उम्र 70 वर्ष, निवासी बांसा, तहसील डीडवाना, जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1.ओमप्रकाश पुत्र हनुमान
2. केलाश पुत्र अमरचन्द
3.परमेश्वरी पत्नि अमरचन्द,
4. भंवरलाल पुत्र परमेश्वर,
5. कृष्णगोपाल पुत्र परमेश्वर,
6. अशोक पुत्र परमेश्वर,
7. आनन्दी पत्नि परमेश्वर,
8. राजकुमार पुत्र नाथुलाल,
9. राधेश्याम पुत्र नाथुलाल,
10.विकास पुत्र सत्यनारायण,
11.विशाल पुत्र होलासचन्द,
12.आकाश पुत्र होलासचन्द,
13.दीपक पुत्र होलासचन्द,
14.जयप्रकाश पुत्र मोहनलाल,
15.विजय पुत्र मोहनलाल,
16.अनिल पुत्र मोहनलाल,
17.रमेश पुत्र मोहनलाल,
18.मनीष पुत्र मोहनलाल,
19.हरीश पुत्र मोहनलाल,
20.भंवरी पत्नि मोहनलाल, समस्त जाति ब्राहाम्ण, निवासीयान बांसा, तहसील डीडवाना, जिला नागौर
21. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्

बंटवारा, रेकर्ड दुरूस्ती, व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा— 53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः—

1. श्री हीरसिंह बलारा एडवोकेट, रणजीत बलारा एडवोकेट वादीगण।

—:: <u>निर्णय</u> ::—

दिनाँक **11.07.2022**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि खेत खसरा संख्या 265 रकबा 2.5400 हैक्टेयर वाके बांसा स्थित है, जिसकी वर्तमान में खातेदारी सल्गंन जमाबंदी में दर्शाये अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। जमाबंदी की नकल वाद के साथ पेश है। वादी सीताराम के पिता घासीराम, नाथुलाल, हनुमान व छगनलाल चार काका बाबा के भाई थे, जो शामलाती में रहते थे। इन चारो का उपरौक्त खेत में प्रत्येक का 1/4–1/4 हिंस्सा की खातेदारी व हकदार रहे है, इन चारो की मृत्यु हो चुकी है। स्वर्गीय छगनलाल के वारिसान जसोदा बेवा बंशीलाल, गोपीकिशन पुत्र बंशीलाल, हरनारायण पुत्र छगनलाल व खिंवराज पुत्र छगनलाल ने उक्त खेत में से अपना सम्पूर्ण 1/4 हिंस्सा वादी सीताराम को जरिये विक्रय पत्र के दिनॉक 02.06.2009 को बेचाण कर मौके पर भौतिक रूप से कब्जा संभला दिया था, जिस पर वादी सिताराम का अबाध रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है, तथा इस विक्रय पत्र के आधार पर 1/4 हिंस्से की खातेदारी वादी के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो चुकी है। खेत खसरा संख्या 265 रकबा 2.5400 [illegible] 15.14 बीघा भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी,उक्त भूमि में से स्व[illegible] वारिसान अमरचन्द पुत्र हनुमान ने अपने परिवार के [illegible] आर्थीक स्थिति खराब हो जाने व अपने परिवार के [illegible] खर्चे के लिये रूपयों की सख्त जयरत हो[illegible] के हिंस्से के 1/4 हिंस्से खेत का बेचाण बंशीलाल पुत्र छीगनलाल, ब्राहाम्ण, [illegible]सी बांसा को 600/रूपयों

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:31:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

दिनॉक 27.08.1990 को बेचाण कर मौके पर भौतिक रूप से कब्जा संभला दिया था तथा इस बाबत एक शपथ पत्र लिखकर नोटेरी से तस्दीक कर दिया था तथा क्रेता बंशीलाल की मृत्यु के उपरान्त उसके पुत्र गोपीकिशन पुत्र बंशीलाल व पत्नि जसोदा देवी पत्नि बंशीलाल जाति ब्राहाम्ण, निवासी बांसा, तहसील डीडवाना ने जरिये ईकरारनामा अपने द्वारा स्वर्गीय हनुमान के हिंस्से की उनके पुत्र से खरीदी हुयी भूमि वादी सीताराम को दिनॉक 02.06.2009 को बेचाण कर मौके पर कब्जा संभला दिया, जिस पर तब से लेकर आज तक क्रय सुदा 1/4 हिंस्से पर काश्त करते आ रहे है। नकल बेचाण दिनॉक 27.08.1990 व दिनॉक 02.06.2009 की नकले साथ में पेश है, तथा स्वर्गीय नाथुलाल के 1/4 हिंस्से की भूमि उसके वारिसान राधेश्याम, मोहनलाल, सत्यनारायण,राजकुमार व होलाशचन्द पिता स्वर्गीय नाथुलाल ने बंशीलाल पुत्र हनुमान को बेचाण कर एक लिखापढ़ी दिनॉक 19.08.1990 को कराकर मौके पर कब्जा संभला दिया था क्योंकि नाथुलाल के वारिसान उनके पुत्रों की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी और वे उक्त खेत बेचने से पहले ही ग्राम भांवता, तहसील नांवा, जिला नागौर मजदुरी करने चले गये, तथा वहीं पर रहने लग गये थे, तथा उक्त बंशीलाल ने स्वर्गीय हनुमान के पुत्रो से खरीदी गयी भूमि 1/4 हिंस्सा वादी सीताराम को जरिये ईकरारनामा दिनॉक 02.09.2009 को लिखाकर व दिनॉक 04.06.2009 को नोटेरी से तस्दीक करवाकर उक्त खेत का भौतिक रूप से कब्जा संभला दिया था, जिस पर आज तक वादी का अबाध रूप से कब्जा चला आ रहा है। तथा काश्त करते आ रहे है। बेचाण की लिखत दिनॉक 19.08.1990 व दिनॉक 02.09.1990 की नकलें वाद के साथ पेश है। इस प्रकार वादी द्वारा स्वर्गीय छीगनलाल से जरिये विक्रय पत्र खरीदी गयी 1/4 हिंस्से की भूमि, स्वर्गीय नाथुलाल के हिंस्से की 1/4 हिंस्से की भूमि व स्व0 हनुमान के हिंस्से की 1/4 भूमि खरीद कर ली अर्थात उक्त भूमि के 3/4 हिंस्सा की भूमि वादी ने क्रय कर मौके पर कबज संभाल लिया था तथा खरीदी गयी भूमि को समतल कर द्वाद वगैरह डालकर उपजाउ बना ली है तथा हर वर्ष खेत के बाड़ करते आये है। तथा आज से करीब 10 वर्ष पूर्व अपने हिंस्से की भूमि के चारो तरफ पटिटयां रोपकर तारपबन्दी कर रखी है, इस प्रकार वादी की खातेदारी उक्त खेत में से 3/4 हिंस्से की राजस्व रेकर्ड में दर्ज होनी चाहिए थी, लेकिन वर्तमान में हनुमान के 1/4 हिंस्से की भूमि व स्वर्गीय नाथुलाल के हिंस्से की 1/4 भूमि की खातेदारी वादी सीताराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं है। मात्र छीगनलाल से खरीदी गयी भूमि की 1/4 हिंस्से की खातेदारी ही वादी के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। ऐसी स्थिति में उक्त खेत की खातेदारी में से वर्तमान खातेदारी अमरचन्द पुत्र हनुमान, ओमप्रकाश पुत्र हनुमान, परमेश्वर पुत्र हनुमान, मोहनलाल पुत्र नाथुलाल, राधेश्याम पुत्र नाथुलाल, सत्यनारायण पुत्र नाथुलाल, होलाशचन्द पुत्र नाथुलाल,राजकुमार पुत्र नाथुलाल के नाम हटाये जाकर इनकी जगह वादी की खातेदारी की जानी कानूनन जरूरी है, इसलिये वादी के 1/4 हिंस्से की खातेदारी की जगह 3/4 हिंस्से की खातेदारी राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती की जाकर घोषित की जानी न्यायोचित है, जिसका कि वादी कानूनन अधिकारी है। खेत खसरा संख्या 265 रकबा 2.5400 हैक्टेयर भूमि का पक्षकारान के बीच मौखिक रूप से बंटवारा आज से करीब 20 वर्ष पूर्व ही कर लिया था, जिसके अनुसार उतरी पश्चिमी 1/4 हिंस्सा स्वर्गीय घासीराम के वारिसान अनिल, गजाधर, जेठमल, बोदु, मुकेश, सीताराम, रूकमा, रणजीत, रामगोपाल, वासुदेव, विमला, शान्ति, शिमला, सन्तोष, सुनील व सुभाष के बंट व कब्जा काश्त में आया, जिस पर ये लोग काबिज है तथा अबाध रूप से काश्त करते आ रहे है, तथा इस सभी की वर्तमान खातेदारी यथावत रहेगी, इन की खातेदारी में कोई बदलाव नहीं करना है, इसलिये इनको वाद में पक्षकार नहीं बनाया है। तथा इस खेत का दक्षिणी पूर्वी 3/4 हिंस्सा वादी सीताराम के बंट व कब्जा काश्त में आया, जिसके चारो तरफ पटियां रोपकर तारबन्दी कर ली है तथा अबाध रूप से काश्त करता आ रहा है। तथा इस वर्ष भी बाजारा की काश्त कर रखी है। वादी ने बंटवारा को अपने नजरी नक्शा में दर्शाया है, जो वाद का भाग है। उक्त खेत का मौखिक बंटवारा [illegible] पक्षकारान के बीच हो चुका है लेकिन कानूनी रूप से बंटवारा नहीं [illegible] सरकारी सहायता लेने व अन्य कार्या में भारी अड़चने आती है इसलिये वादी [illegible] कानूनी रूप से बंटवारा करवाना चाहता है। जिसका कि वह कानूनन [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:51:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, तत्पश्चात प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजुद तामिल के अनुपस्थित होने से इनके खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अधिवक्ता वादी ने वादी का आदेश 18 नियम 04 सी0 पी0 सी0 का साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया, जिसे शामिल मिशल किया गया।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, वादीगण ने वाद का डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। न्यायिक द्रष्टान्तो का अध्ययन किया, तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः बाद विवेचन, वाद वादी डिक्री किया जाता है।

—:आदेश :—

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, ग्राम बांसा के खसरा संख्या 265 रकबा 2.5400 हैक्टर की खातेदारी में से अमरचन्द, ओमप्रकाश, परमेश्वर, मोहनलाल, राधेश्याम, राजकुमार, सत्यनारायण, होलाशचन्द का नाम हटाया जाकर उनकी जगह वादी को खातेदार व काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वाद में उपरोक्त वर्णितानुसार तथा नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार दक्षिणी पूर्वी 3/4 हिंस्से का वादी को स्वतंन्त्र खातेदार व काश्तकार घोषित किया जाता है, नजरी नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **11.07.2022** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:51:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

वाद संख्याः 297/2021 दायर दिनाँक 01.11.2021

वादी

1. सीताराम पुत्र घासीराम, जाति ब्राहाम्ण, उम्र 70 वर्ष, निवासी बांसा, तहसील डीडवाना, जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. ओमप्रकाश पुत्र हनुमान
2. केलाश पुत्र अमरचन्द
3. परमेश्वरी पत्नि अमरचन्द,
4. भंवरलाल पुत्र परमेश्वर,
5. कृष्णगोपाल पुत्र परमेश्वर,
6. अशोक पुत्र परमेश्वर,
7. आनन्दी पत्नि परमेश्वर,
8. राजकुमार पुत्र नाथुलाल,
9. राधेश्याम पुत्र नाथुलाल,
10. विकास पुत्र सत्यनारायण,
11. विशाल पुत्र होलासचन्द,
12. आकाश पुत्र होलासचन्द,
13. दीपक पुत्र होलासचन्द,
14. जयप्रकाश पुत्र मोहनलाल,
15. विजय पुत्र मोहनलाल,
16. अनिल पुत्र मोहनलाल,
17. रमेश पुत्र मोहनलाल,
18. मनीष पुत्र मोहनलाल,
19. हरीश पुत्र मोहनलाल,
20. भंवरी पत्नि मोहनलाल, समस्त जाति ब्राहाम्ण, निवासीयान बांसा, तहसील डीडवाना, जिला नागौर
21. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
बंटवारा, रेकर्ड दुरूस्ती, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188 R.T.Act.

दिनाँक 11.07.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हीरसिंह बलारा एडवोकेट, रणजीत बलारा एडवोकेट वादीगण की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, ग्राम बांसा के खसरा संख्या 265 रकबा 2.5400 हैक्टर की खातेदारी में से अमरचन्द, ओमप्रकाश, परमेश्वर, मोहनलाल, राधेश्याम, राजकुमार, सत्यनारायण, होलाशचन्द का नाम हटाया जाकर उनकी जगह वादी को खातेदार व काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वाद में उपरोक्त वर्णितानुसार तथा नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार दक्षिणी पूर्वी 3/4 हिंस्से का वादी को स्वतंन्त्र खातेदार व काश्तकार घोषित किया जाता है, नजरी नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा।

तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। नीज. ....–.......... मुबलिंग..............–............... [illegible] ....–.....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........–.......... [illegible] ज व [illegible] तारीख को अदा करें। बसबत मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 11.07.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:51:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:51:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner